उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 100/2016/1542(2)/छप्पन-2016-93/2015 टी0सी0-।।

लखनऊ : दिनांक : 26 दिसम्बर, 2016

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग **वित्तीय वर्ष : 2016-17** **(धनराशि हजार रूपये में)**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030001	2366	310	310	310	2056
220300105030003	3218	500	500	500	2718
योग	5584	810	810	810	4774

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030002	9142	9952	810	810	9952
योग	9142	9952	810	810	9952

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत संस्थान के सहायक लेखाधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त पूर्णकालिक नियुक्ति न किये जाने के फलस्वरूप सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- संस्थान में कार्यरत व्याख्याता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं छात्रावास में तैनात होमगाड्र्स एवं सफाई कार्मिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप व्ययाधिक्य हो रहा है। 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। (एस0के0 रघुवंशी) सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या- ई-7- 262/दस-2016, दिनांक : 20 दिसम्बर, 2016 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। हस्ताक्षर ..... (अवधेश कुमार खरे) अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : 100/2016/1542(3)/छप्पन-2016-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।